प्रेस विज्ञप्ति
18.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित अचल संपत्तियों के कपटपूर्ण अधिग्रहण, नियंत्रण एवं अंतरण से संबंधित धन शोधन के मामले में चल रही जांच के संबंध में, गांगुली होम सर्च प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित गांगुली को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत 15.09.2026 को गिरफ्तार किया है। उन्हें 16.09.2026 को माननीय विशेष न्यायालय, विचार भवन, कलकत्ता के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 4 दिनों के लिए ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया है।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित अपराधों (भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 419, 420, 423, 467, 471 लागू किए जाने) के संबंध में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी, अपने सहयोगियों के साथ मिलीभगत करके तथा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य कपटपूर्ण तरीकों से अलग-अलग व्यक्तियों और संस्थाओं की बहुमूल्य अचल संपत्तियों का अवैध रूप से अधिग्रहण, हड़पने और अंतरण करने में संलिप्त पाया गया।

जांच से आगे यह भी पता चला कि संपत्तियों पर झूठे अधिकार सृजित करने और उनका दावा करने के लिए कूटरचित एवं मनगढ़ंत विक्रय विलेखों, करारों, मुख्तारनामों, दान विलेखों, बोर्ड संकल्पों तथा अन्य दस्तावेजों का उपयोग किया गया। वास्तविक स्वामियों के कब्जे और स्वामित्व अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से झूठे दावों और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भूमि एवं नगरपालिका अभिलेखों में भी कथित रूप से हेरफेर किया गया। इसके अतिरिक्त, अमित गांगुली भूमि स्वामियों के साथ संयुक्त उपक्रमों में प्रवेश करके संपत्तियों पर विकास अधिकार प्राप्त करता था तथा जानबूझकर भूमि स्वामियों के विधिसम्मत हक का सम्मान करने में विफल रहता था और संपत्तियों पर नियंत्रण का दावा करने के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार करता था। ऐसी आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध से अर्जित आय और संपत्ति संबंधी अधिकार,

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध से अर्जित आय होते हैं।

जांच के दौरान चिन्हित अपराध से अर्जित आय में बहुमूल्य अचल संपत्तियां और संपत्ति संबंधी अधिकार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अमित गांगुली के विरुद्ध लगभग 23 प्राथमिकियां दर्ज हैं और उसने उपर्युक्त कार्यप्रणाली का उपयोग करके अनेक निवेशकों और भूमि स्वामियों को ठगा है।

इससे पूर्व, ईडी ने 28.03.2026 को मामले में अमित गांगुली से संबंधित परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया था, जिसके परिणामस्वरूप अपराध संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य अभिलेख जब्त किए गए थे। जब्त की गई सामग्री की जांच से पता चला कि अमित गांगुली का रियल एस्टेट परियोजनाओं और अन्य अचल संपत्तियों से संबंधित मामलों में विभिन्न स्थानीय प्राधिकरणों और उनके अधिकारियों पर प्रभाव था।

आगे की जांच जारी है।